न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय गोयल आर.ए.एस.
राजस्व दावा सं0:– 233 / 15

फूलसिंह पुत्र खुनखुन जाति जाट निवासी ग्राम झब्बलपुर तहसील व जिला भरतपुर(राज.)।

.....वादी

बनाम

1. विपतीराम पुत्र बलवीर
2. मीनादेवी पत्नी विपतीराम
3. बलवीर सिंह पुत्र गड्डर

जाति जाट निवासी ग्राम झब्बलपुर तहसील व जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व डिक्री हुकम इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88,89,188
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :– 25.02.2020

वादी द्वारा यह प्रकरण दिनांक 27.11.2015 को अन्तर्गत धारा 88,89,188 राजस्थान काशतकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी पेश कर निवेदन किया कि हाल आ.ख.नं. 209 बाके ग्राम महटोली तहसील व जिला भरतपुर है जिसे बंदोबस्त विभाग द्वारा साविक खसरा नम्बर 163 रकबा 3 बीघा 6 विस्वा से गलत रूप से कसीद किया जाकर प्रतिवादीगण के नाम खिलाफ मौका रिकार्ड एवं कानून के गलत रूप से दर्ज कर दिया है। मुताबिक मौका एवं साविक नक्शा के हाल खसरा नम्बर 209 / 0.26 साविक खसरा नम्बर 162 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा से कसीद करना चाहिये था तथा वादी के नाम दर्ज करना चाहिये था। हाल खसरा नम्बर 209 / 0.26 वादी के कब्जे काश्त

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

खातेदारी की आराजी है। प्रतिवादीगण का कोई भी सम्बन्ध व सरोकार किसी भी प्रकार का खसरा नम्बर 209/0.26 से कभी नहीं रहा है। वदी वजह हाल खसरा नम्बर 209/0.26 बाके ग्राम महटोली पर वादी मुताबिक मौका साविक रिकार्ड नक्शा एवं कानून के अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम वर्तमान रिकार्ड में दर्ज इन्द्राज को कलमजन करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के आधार पर खसरा नम्बर 209/0.26 के 1/2 हिस्सा के जरिये दानपत्र दिनांक 16.03.2009 पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 643 पृष्ठ संख्या 169 क्रमांक 2000991489 उप पंजीयक भरतपुर से प्रतिवादी संख्या 2 के हक में गलत रूप से हस्तांतरित करा दिया है। वदी वजह खसरा नम्बर 209/0.26 के निस्फ हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 की बाबत् दानपत्र दिनांक 16.03.2009 को वमुकाबले वादी वातिल व बेअसर तथा प्रारंभतः ही इस्तकरान हक करा पाने का अधिकारी है। इसी वजह प्रतिवादी संख्या 3 को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। हाल खसरा नम्बर 209/0.26 बाके ग्राम महटोली तहसील व जिला भरतपुर पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम इन्द्राज खिलाफ मौका रिकार्ड एवं कानून के गलत रूप से दर्ज होने के कारण प्रतिवादीगण आये दिन खसरा नम्बर 209/0.26 को रहन वय मुन्तकिल करने तथा वादी के कब्जे काश्त में मदाखलत मजाहमत करने की धमकी देते हैं। यदि प्रतिवादीगण अपनी धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी। वदी वजह वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा जारी करा पाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थना है कि यह घोषित किया जावे कि खसरा नम्बर 209/0.26 बाके ग्राम महटोली तहसील व जिला भरतपुर का वादी काबिज खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम

प्रखण्ड अधिकारी
भरतपुर

इन्द्राज खिलाफ मौका रिकार्ड एवं कानून होने से काबिल कलमजन है तथा दान पत्र तारीखी 16.03.2009 जो प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के हक में निस्फ हिस्से का कराया है वह वमुकाबले वादी वातिल व बेअसर व प्रभावहीन है। हाल खसरा नम्बर 209/0.26 बाके ग्राम महटोली तहसील व जिला भरतपुर पर विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री स्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की जारी की जावे कि कब्जे काश्त वादी में मदाखलत मजाहमत न करें।

दावा दर्ज रजि0 कर तलवी प्रतिवादीगण की जरिये सम्मनों से की गई। प्रतिवादीगण सं. 1, 2 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दिनांक 07.11.17 को राजीनामा पेश किया जो वाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दिनांक 11.07.19 को इकबाल दावा पेश किया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया कि हाल ख. नं. 209/0.26 बाके ग्राम महटोली साविक ख.नं. 163/3.06 बीघा से गलत रूप से बनाकर प्रतिवादीगण ने नाम गलत दर्ज कर दिया है। साविक नक्शा के मुताबिक हाल ख.नं. 209/0.26 साविक ख.नं. 162/1.13 से बनना चाहिये था तथा वादी के नाम दर्ज करना चाहिये था। आ.ख.नं. 209/0.26 पर शुरू से ही वादी का कब्जा रहा है। प्रतिवादी सं. 3 द्वारा जरिये दानपत्र दिनांक 16.03.09 को गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 2 मीना के नाम करवा दिया है उसे शून्य माना जावे अतः हाल ख.नं. 209/0.26 पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम कलमजन किया जावे। राजीनामा एवं इकबाल दावा पेश होने के कारण तनकी कायम नहीं की गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी सं. 2069–72 प्रदर्श–1 पेश की, मौखिक साक्ष्य में शपथ पत्र पर बयान श्री

उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

फूलसिंह वादी पीडब्ल्यू–1 एवं स्वतंत्र गवाह महेन्द्र सिंह पीडब्ल्यू–2, लाखन सिंह पीडब्ल्यू–3 पेश कर अपनी साक्ष्य समाप्त की।

उभयपक्षकारों के अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी हाल सं. 2069–72 के मुताबिक विवादित आ.ख.नं. 209/0.26 है. प्रतिवादी मीना देवी हिस्सा 1/2 एवं विपतीराम हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा अन्य कोई रिकार्ड मिलान क्षेत्रफल साविक आ.ख.नं. 163/3.06 बीघा की नकल जमाबन्दी पेश नहीं की गई है। रिकार्ड के अभाव में यह प्रमाणित नहीं होता है कि हाल आ.ख.नं. 209/0.26 है. किस गत खसरा नम्बर से बनाया गया है एवं यह भी प्रमाणित नहीं होता है कि पूर्व में यह खसरा नम्बर कभी वादी फूलसिंह के पूर्वजों के नाम दर्ज रिकार्ड रहा है। रिकार्ड के अभाव में दावा वादी प्रमाणित नहीं है। दावा वादी खारिज योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर

निर्णय आज दिनांक 25 फरवरी 2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भरतपुर